न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 99/2018

1. बच्चू पुत्र जगन जाति जोगी निवासी ग्राम बेडा जगरामपुरा तहसील महवा जिला दौसा

...अपी0

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, महवा जिला दौसा

...रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार महवा दिनांक 22.12.2017 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम बच्चू मुकदमा नं0 312/2017 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1.श्री अशोक कुमार जोशी, अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 07.01.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, महवा ने दिनाक 22.12.2017 को ग्राम बेडा जगरामपुरा के आ0ख0न0 44 रकबा 0.16 है0 किस्म तालाबी द्वितीय व 75 रकबा 0.09 किस्म जमीन चरागाह कुल रकबा 0.25 है0 पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं एक माह (30 दिवस) की सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का द्वारा निहायत झूँठी रिपोर्ट की है। अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा किसी भी राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया । अपीलांट को पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत नही होने पर भी पश्चातवर्ती मानकर निर्णय पारित किया है। जो नियमों के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

पैरोकार सरकार ने अपीलांट के तर्को का खंडन करते हुए बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय मे नियत तारीख पर उपस्थित हुआ है। अतः अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट रुप से अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर सरसों बुआई कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना अंकित किया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूँठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपी0 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस बाद तामील संलग्न पत्रावली है। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में सरसों बुआई कर व कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित कर अतिक्रमण करना बताया है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट का राजकीय भूमि पर पश्चावर्ती अतिक्रमण है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतिक्रमी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 07 जनवरी,2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा